न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-D 28/2016 श्री मानजी बनाम गौतिया

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी छोटी सरवन दिनांक 33–07–2016 प्रकरण स्रंख्या 59/2013 वाद ——————————	
25–01–2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण में अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा दिनांक 12–10–2015 को आदेश–14, नियम–5 जाब्ता दीवानी का आवेदन पेश किया हुआ था। जिसमें दिनांक 28–4–2016 को वादी अभिभाषक को जवाब का अंतिम अवसर देकर पत्रावली में दिनांक 16–5–2016 (कटिंग एवं ओवर राईटिंग है) तय की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–5–2016 को पत्रावली को अपीलान्ट प्रतिवादी को सूचित किये बिना, पत्रावली को लोक अदालत में रखकर अंकित किया है कि उनके द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया है तथा पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13–7–2016 को पेश हो। दिनांक 13–7–2016 को किसी भी पक्ष की अनुपस्थिति में वादी रेस्पोन्डेन्ट का वाद डिक्री कर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया ही किसी प्रभावी आवेदन के लम्बित होने तथा अनिर्णित स्थिति में मूलवाद का निस्तरण उभयपक्ष को सुने बिना किया जाना प्रकट आता है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–7–2016 त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में लम्बित आवेदन का विधिक निस्तारण कर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर विकधक निर्णय पारित करें। पक्षकारान आधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–3–2018 को उपस्थित होवें। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(एल.एन. मंत्री)** **भू–प्रबन्ध अधिकारी** **एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी** **उदयपुर**	